कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 1143 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 31.10.2019.

सेवा में,

श्री रामराज बाली अधिकृत प्रतिनिधि,
मैं0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0,
सेक्टर 128, नोएडा, उ0प्र0।

विषयः– जपनद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक–28.06.2019, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–2028/मी0क्षे0/33 दिनांक–30.10.2019 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक–1292/33–1 दिनांक–24.10.2019.

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा निर्देश जारी किया गया है, विषयक प्रकरण में आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक–1292/33–1 दिनांक–24.10.2019 के साथ उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र की रिपोर्ट संलग्न कर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में उल्लिखित बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक– 28.06.2019 में इंगित प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर व उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र से सम्पर्क स्थापित कर, उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक–28.06.2019 में इंगित प्रमाण पत्र के साथ स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अवलोकन हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

Scanned by CamScanner

संख्या   अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि--मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि--प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप विषयक प्रकरण में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या--23/14--2--2019--190 जी/2018 दिनांक--28.06.2019 में इंगित प्रमाण पत्र के साथ स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा--सोनभद्र।

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक रा0– [illegible] / मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर,अक्टूबर [illegible] 2019

[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर ।

विषय– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लाण्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

सन्दर्भ–

1. उ0 प्र0शासन का पत्रांक वी0आई0पी0 23 / 14–2–2019–190 जी / 2018 दिनांक 28.06.2019
2– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक 15 / [illegible] दिनांक 02.07.2019 एवं पत्रांक 753 / 11–सी–[illegible] जी / [illegible] / 23246 / 2016 दिनांक 14.10.2019
3– इस कार्यालय का पत्रांक 1783 / मी0 / 33 / दिनांक 14.10.2019
4– आपका पत्रांक 1255 / 33–1 दिनांक 21.10.2019
5– इस कार्यालय का पत्रांक 1963 / मी0 / 33 / दिनांक 24.10.2019
6– आपका पत्रांक 1292 / 33–1, दिनांक 24.10.2019

विषयक व सन्दर्भ में आप द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 1292 / 33–1 दिनांक 24.10.2019 द्वारा प्रेषित किये गये आख्या के संलग्नक उप जिलाधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी, सोनभद्र के रिपोर्ट में बिन्दु संख्या–4 में उल्लेख किया गया है कि " प्रस्तावित कुल 124 गाटाओं के भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 से आच्छादन के संबंध में प्रस्ताव में अंकित गाटाओं का वर्तमान जिल्द बन्दोबस्त में अंकित हाल नम्बर के सापेक्ष साबिक नम्बरान व वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये धारा–4 की विज्ञप्ति में अंकित नम्बरों के परीक्षण करने से स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान जिल्द बन्दोबस्त में प्रस्ताव में अंकित नम्बरान जिस साबिक नम्बरान से बने हैं व साबिक नम्बरान व उनका रकबा भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 की विज्ञप्ति में अंकित नम्बरान व रकबे से मेल नहीं खा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 में अंकित नम्बरान सन् 1372 फसली में हुए सर्वे व रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही से बने हाल नम्बरान हैं जिसका कोई अभिलेख अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है, जबकि उपरोक्त प्रस्तावित कुल 124 गाटे फसली सन् 1382–83 के सर्वे बन्दोबस्त से [illegible] हैं। प्रस्तावित कुल 124 गाटों के भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 से आच्छादन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होता है उल्लेख किया गया है" इसी प्रकार आप द्वारा [illegible] में उल्लेख किया गया है कि धारा 4 में विज्ञापित वन बन्दोबस्त अधिकारी [illegible] में विचाराधीन दावों का क्षेत्रफल 17.606 हे0 है।

स्पष्ट है कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गैर वन भूमि की स्थिति [illegible] है। उपरोक्त आख्या शासन के पत्र दिनांक 28.06.2019 की मंशा के अनुरूप नहीं है [illegible] द्वारा इंगित प्रमाण पत्र आप द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में [illegible] पत्र को उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना उचित नहीं है।

[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा [illegible]

2399

334 वदी

31-10-19

अतः उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 28.06.2019 के अनुसार [illegible] प्रमाण पत्र सहित आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार आख्या शासन स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या [illegible] ब/समादिष्ट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य वन संरक्षक, लोक सूचना अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या [illegible] ब/समादिष्ट।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को विषयक के संबंध में इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से मामले की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अपने स्तर से [illegible] समेकित करना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

Scanned by CamScanner